निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 ज्येष्ठ 1940 (श0)

(सं0 पटना 520) पटना, सोमवार, 4 जून 2018

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

4 जून 2018

सं० एल०जी०-01-30/2017-37 लेज।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राष्ट्रपति दिनांक 17 मई 2018 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार –राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम-07, 2018]

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017

प्रस्तावना :– बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 (बिहार अधिनियम 16, 1974) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। – (1) यह अधिनियम बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 16, 1974 की धारा–2 में संशोधन।– उक्त अधिनियम, 1974 की धारा–2 की उपधारा (क) में प्रयुक्त शब्द "अस्पताल" के बाद शब्द "संयुक्त वहिः स्त्राव उपचार प्लांट, संयुक्त सुविधा केन्द्र, ठोस कचरा प्रबंधन तंत्र'', अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. बिहार अधिनियम 16, 1974 की धारा–3 में संशोधन।– (1) उक्त अधिनियम, 1974 की धारा–3 की उप धारा (3) के खंड (ii) में प्रयुक्त शब्द ''आयुक्त'' के पूर्व शब्द ''सचिव अथवा'' अंतः स्थापित किए जाएंगे।

(2) उक्त अधिनियम, 1974 की धारा–3 की उपधारा (4) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (4क) जोड़ी जाएगीः–

''(4क) प्राधिकार, लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकार के किसी पदाधिकारी को उन शर्त्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों एवं कृत्यों को, जिसे आवश्यक समझा जाय, प्रत्यायोजित कर सकेगा।''

4. बिहार अधिनियम 16,1974 की धारा–4 में नई धारा–4क का अंतःस्थापन।– उक्त अधिनियम, 1974 की धारा–4 के बाद निम्नलिखित नई धारा 4क अंतः स्थापित की जाएगीः

''4क. औद्योगिक क्षेत्र–(1) औद्योगिक क्षेत्र में कतिपय एक या एक से अधिक निम्नलिखित भूमि अंतर्विष्ट होंगीः–

(i) राज्य सरकार द्वारा अर्जित तथा इस अधिनियम की धारा–9 के अधीन प्राधिकार को अंतरित सभी भूमि;

(ii) प्राधिकार द्वारा लीज, लगान और क्रय अथवा अधिनियम की धारा–6(10) और धारा–9 के अधीन किसी अभिधृति के रूप में अर्जित सभी भूमि;

(2) किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकार ऐसे औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक आयोजन क्षेत्र से संबंधित विकास नियंत्रण विनियम, संबंधित उपविधि, मास्टर प्लान तथा ऐसे ही कुछ विषय अधिसूचित कर सकेगी।''

5. बिहार अधिनियम 16,1974 की धारा–6 में संशोधन।– (1) उक्त अधिनियम, 1974 की धारा–6 की उप धारा (1) के बाद निम्नलिखित नई उप धारा (1क) जोड़ी जाएगीः–

''(1क) प्राधिकार धारा–4क यथोलिखित औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक आयोजन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी होगा।''

(2) उक्त अधिनियम, 1974 की उपधारा (2) में प्रयुक्त शब्द ''भूमि'' के बाद शब्द ''अथवा करखाना का शेड या भवनों अथवा भवनों के भागों'' तथा आगे शब्द ''लीज निष्पादन'' के बाद शब्द ''उपांतरण'' अंतः स्थापित किए जाएंगें।

(3) उक्त अधिनियम, 1974 की धारा–6 की उप धारा (2) के खंड (क) में प्रयुक्त शब्द ''उद्योग'' के बाद शब्द ''अथवा प्राधिकार के सभी बकाए, लगान, प्रभारों का भुगतान ससमय नहीं किए गए हों अथवा अनुमोदित योजना के विरूद्ध कोई निर्माण कार्यान्वित किया गया हो अथवा उद्योग के लिए खतरनाक क्रियाकलाप में लगे हो,'' अंतस्थापित किए जाएंगे।

(4) उक्त अधिनियम, 1974 की धारा–6 की उप धारा 2(ख) के बाद निम्नलिखित नई उप धारा (ग) एवं (घ) क्रमशः अंतस्थापित की जाएगीः–

2''(ग) प्राधिकार, भवन विनियमों के संबंध में प्रत्येक प्लॉट में उपयोग न लाए गए भवन निर्माण योग्य क्षेत्र की पहचान नियमित रूप से करेगा। प्राधिकार औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट धारकों को, विहित प्रारूप में ब्योरे भेजने हेतु सूचना निर्गत करेगा। प्रतिवेदन देने पर, यदि प्राधिकार का यह समाधान हो जाए कि प्लॉट धारक अपने प्लॉट के अधिकतम भवन निर्माण योग्य क्षेत्र का उपयोग, अथवा जिस प्रयोजन के लिए भूमि आंवटित थी उस प्रयोजन के लिए कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 3(तीन) वर्ष अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य अवधि के बाद भी नहीं किया है तो उपयोग न लाए गए भाग को, किसी उद्योग को जगह देने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। प्लॉट का वह भाग जिसका

उपयोग आवंटी/पट्टाधारी द्वारा नहीं किया जा रहा हो, चिन्हित किया जाएगा और प्राधिकार द्वारा किसी नए आवंटी/पट्टाधारी को देने के लिए अधिगृहित कर लिया जाएगा।

2(घ) आवंटित प्लॉट या क्षेत्र पर कारोबार का आरंभ।–कोई भी व्यक्ति, जबतक प्राधिकार द्वारा, प्लॉट के कब्जा के समय आवंटी द्वारा दाखिल किए गए विस्तृत प्रोजेक्ट प्रतिवेदन के अनुसार और प्राधिकार के विकास नियंत्रण विनियमों के अनुसार क्रियान्वयन के बाद एक अधिभोग प्रमाण पत्र न निर्गत कर दिया जाय, कारोबार आरंभ नहीं करेगा। प्राधिकार विस्तृत प्रोजेक्ट प्रतिवेदन में किसी विचलन की अनुज्ञा देगा बशर्ते कि ऐसा विचलन, प्लॉट पर किसी ऐसे विचलन क्रियान्वयन आरंभ होने के पूर्व, प्राधिकार को सूचित किया गया हो और अनुमोदित किया गया हो।''

(5) उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा (3) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (3क) अंतःस्थापित की जाएगीः–

''(3क) प्राधिकार आवंटन नीति, अंतरणनीति, निकास नीति, रद्दकरण नीति अथवा औद्योगिक क्षेत्र के अच्छे प्रबंधन के लिए ऐसी ही अन्य नीति का निर्माण करेगा।''

(6) उक्त अधिनियम, 1974 की धारा–6 की उप धारा (4) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''(4)(क) प्राधिकार के प्रबंध निदेशक को बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा–2 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकार के सड़कों, घरों, गलियों, विकास क्षेत्र एवं संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के उद्धेश्य से समाहर्त्ता की शक्ति होगी।

(4)(ख) कोई भी व्यक्ति, जो प्राधिकार के सड़क, घरों, गलियों, विकास क्षेत्र या संपत्ति पर अतिक्रमण करता हो या रद्द प्लॉट अथवा प्लॉट के भाग पर कब्जा जारी रखता है या बैठता है, अतिक्रमणकारी माना जाएगा और प्राधिकार इस अधिनियम के निर्बधनों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।''

(7)उक्त अधिनियम, 1974 की धारा–6 की उप धारा (8) के बाद निम्नलिखित उप धारा (9) एवं (10) जोड़ी जाएंगीः–

''(9) प्राधिकार औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन समिति का गठन कर सकेगा।

(10) प्राधिकार को निम्नलिखित शक्तियाँ होगीः–

(क) स्थावर या जंगम में, दोनों ऐसी संपत्ति जिसे प्राधिकार अपनी क्रियाकलापों में से किसी के भी अनुपालन के लिए आवश्यक समझे, अर्जित एवं धारित करने**;**

(ख) विहित नियमों के अनुसार किसी भूमि करार द्वारा क्रय करने या लीज, लगान अथवा अभिधृति के किसी प्रारूप के अधीन लेने, ऐसे भवन खड़ा करने तथा ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करने जो अपने कर्त्तव्यों तथा कृत्यों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे**;**

6. बिहार अधिनियम 16, 1974 की धारा–7 में संशोधन।– उक्त अधिनियम, 1974 की धारा–7 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित उपधारा (3), (4) एंव (5) क्रमशः जोड़ी जाएंगीः–

''(3) ऐसे लेखाओं का संचालन प्राधिकार के ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा जो इस निमित इसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा प्राधिकृत किया जाय।

(4) प्राधिकार को ऐसी रकम, जिसे वह इस अधिनिमय के अधीन प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए उचित समझे, आवश्यकतानुसार प्राधिकार की समान्य निधि से खर्च करने की शक्ति होगी।

(5) उपर्युक्त उपधारा (2) एंव (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकार ऐसी रकम, जिसे अपने दिन प्रतिदिन के लिये संव्यवहार उचित समझे, यथा विहित सीमाओं और शर्त्तों के अधीन रहते हुए, अपने हाथ में रख सकेगा।''

7. बिहार अधिनियम 16, 1974 की धारा–8 में संशोधन।– (1) उक्त अधिनियम, 1974 की धारा–8 की उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित उपधारा (1क) एवं (1ख) अंतः स्थापित की जाएगीः–

''(1क) प्राधिकार वर्ष के दौरान कार्य के कार्यक्रमों में फेरफार करने हेतु सक्षम होगा बशर्ते कि बजट की मंजूरी के बिना सभी ऐसे फेरफार और पुनर्विनियोजन एक अनुपूरक वित्तीय विवरण द्वारा राज्य सरकार के जानकारी में लाए गए हो।

(1ख) राज्य सरकार ऐसे अनुदान, आर्थिक सहायता, ऋण तथा अग्रिम प्राधिकार को उपलब्ध करायेगा जो उसे इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार के कृत्यों के अनुपालन के लिए आवश्यक समझें, तथा सभी दिए गए अनुदान, आर्थिक सहायता ऋण एवं अग्रिम उन निर्बधनों और शर्त्तों पर होंगे जो राज्य सरकार विहित करे।''

(2) उक्त अधिनियम, 1974 की धारा–8 की उपधारा (4) के बाद निम्नलिखित उपधारा (5) जोड़ी जाएगीः–

''(5) प्राधिकार पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों, नीतियों तथा कायक्रमों का सत्य एवं पूर्ण लेखा तथा अग्रदृष्टि विवरण नियमों में विहित प्रारूप में देते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के बाद 90 दिनों के भीतर एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेज देगा।''

8. बिहार अधिनियम 16,1974 की धारा–9 में संशोधन।– उक्त अधिनियम, 1974 की धारा–9 की उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''भू–अर्जन अधिनियम, 1894 शब्द ''विद्यमान भू–अर्जन विधियों'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9. बिहार अधिनियम 16, 1974 की धारा–12 में संशोधन।– उक्त अधिनियम, 1974 की धारा–12 की उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द एंव अंक ''वह 10,000 रू० तक के जुर्माने से'' शब्द एवं अंक ''पांच लाख या प्राधिकार द्वारा उपगत सभी खर्च का 300% जो भी अधिक हो'' द्वारा तथा आगे शब्द एंव अंक ''हर दिन के लिए 100 रू० तक'' शब्द '' प्रतिदिन पांच हजार रूपये '' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. बिहार अधिनियम 16, 1974 की धारा–14 में संशोधन।– उक्त अधिनियम, 1974 की धारा–14 के खंड (ग) के बाद निम्नलिखित खंड (ग–1) जोड़ा जाएगा :–

''(ग–1) भूमि एवं/अथवा भवन को क्रय करने, संपत्ति को पट्टे अथवा किराये पर लेने''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

4 जून 2018

सं० एल0जी0-01-30/2017/38/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 17 मई 2018 को अनुमत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम 2017, (बिहार अधिनियम, 7, 2018) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 7, 2018]

The Bihar Industrial Area Development Authority (Amendment) Act, 2017

AN

ACT

Preamble:- To amend the Bihar Industrial Area Development Authority Act 1974 (Bihar Act 16, 1974)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in sixtyeight year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called The Bihar Industrial Area Development Authority (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to whole State of Bihar.

(3) It shall come in to force with immediate effect.

2. Amendment in section 2 of the Bihar Act 16, 1974. —After the words "Hospital" used in sub section (a) of section (2) of the said Act, 1974 the words "common effluent treatment plant, provision of common facility centre, solid waste management system" shall be inserted.

3. Amendment in Section 3 of the Bihar Act 16, 1974. - (1) The words "a Secretary or" shall be inserted before the word "commissioner" used in sub section (3) (ii) of the said Act, 1974.

(2) The following sub section (4a) shall be inserted after sub section (4) of section 3 of the said Act, 1974:-

"(4a) The Authority may, by general or special order in writing delegate to any officer of the Authority subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act as it may deem necessary."

4. Insertion of new section 4A in the Bihar Act 16, 1974- The following new section 4A shall be inserted after section 4 of the said Act 16, 1974:

"4A Industrial Area.—(1) The Industrial Area may contain one or more of the following lands:

(i) All lands acquired by the State Government and transferred to the Authority under Section 9 of the Act.

(ii) All lands acquired by the Authority on lease, rent, and purchase or acquired under any form of tenancy under Section 6 (10) and Section 9 of the Act.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law, the Authority shall notify Development Control Regulation, related byelaws, master plan and such other matters with respect to industrial planning for such Industrial Area."

5. Amendment in section 6 of the Bihar Act 16,1974.- (1) The following sub section (1a) shall be added after sub section (1) of section 6 of the said Act, 1974:-

(1a) The Authority shall be the implementation agency for industrial planning of industrial area as mentioned in Section 4A.

(2) After the words "allotment of land" used in sub section (2) of section 6 of the said Act 16, 1974. The words "or factory shed or building or parts of buildings" and further after the words "execution of lease" the word "modification" shall be inserted.

(3) After the words "the Industry" used in clause (a) of sub section (2) of section 6 of the said Act, 1974, the words "or all dues, rent, charges of the Authority have not been paid within time or unregistered product is manufactured or any construction contrary to the approved plan has been carried out or an activity injurious to industries has been engaged into" shall be inserted.

(4) The following sub section (c) and (d) shall be inserted after sub section 2(b) of section 6 of the said Act, 1974:- "(c) The Authority shall regularly identify unutilized buildable area in each plot with regard to the building regulations. The Authority shall issue notices to the plot holders in the Industrial Area calling upon them to furnish details in a prescribed form. Upon the submission

of the report if the Authority is satisfied that the plot holder has not utilized the maximum buildable area of his plot even after 3 (three) years or any other period notified by the State Government, from the date of taking over the possession for the purpose for which the land was allotted, the unutilized portion shall be cancelled for accommodating another industry. The portion of the plot that is not being utilized by an allottee/ lessee be demarcated and taken over by the Authority for accommodating a new allottee/lessee.

(d) Commencement of business on allotted plot or area: No person shall commence business until an Occupation Certificate is issued by the Authority after implementation of Detailed Project Report filed by the allottee, and in accordance with the Development Control Regulations of the Authority. The Authority shall permit any deviations in the Detailed Project Report, provided such deviations shall be intimated and approved by the Authority before any such deviation implementation has commenced on the plot."

(5) The following sub section (3a) shall be inserted after sub section (3) of Section 6 of the said Act, 1974:—

"(3a) Authority may formulate Allotment Policy, Transfer Policy, Exit Policy, Cancellation Policy or such other Policy for better management of Industrial Area."

(6) Section 6(4) shall be substituted with the following:—

"(a) The Managing Director of the Authority shall have the powers of the Collector under section 2 (1) of the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956, for purposes of removal of encroachment on road, houses, gullies, any land in the development areas and properties of the Authority.

(b) Any person who encroaches upon road, houses, gullies, any land in the development areas and properties of the Authority or continues to possess or squat upon the cancelled plot or a portion of the plot shall be treated as encroacher and the Authority shall take necessary action in terms of this Act."

(7) The following subsection (9) and (10) shall be added after sub section (8) of section 6 of the said Act, 1974:—

"(9) The Authority may form an Industrial Area Management Committee for effectively managing the Industrial area.

(10) The Authority shall have powers:—

(a) to acquire and hold such property, both movable and immovable as the Authority may deem necessary for the performance of any of its activities;

(b) to purchase by agreement or take on lease or rent or under any form of tenancy any property as per prescribed rules, to erect such buildings and to execute such other works as may be necessary for the purpose of carrying out its duties and functions;

6. Amendment in section 7 of the Bihar Act 16, 1974.—After sub section (2) of Section 7 of the said Act, 1974, the following sub section (3), (4) and (5) shall be added:-

"(3) Such accounts shall be operated upon by such officers of the Authority as may be authorised by it by regulations made in this behalf.

(4) The Authority shall have the power to spend such sums as it deems fit for the purposes authorised under this Act from out of the general fund of the Authority as the requirement may be.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) and (3) above, the Authority may keep on hand such sum as it thinks fit for its day to day transactions, subject to such limits and conditions as may be prescribed."

7. Amendment in section 8 of the Bihar Act 16, 1974:-(1) After sub section (1) of section 8 of the said Act, 1974, the following sub section (1a) and (1b) shall be inserted:

" (1a) The Authority shall be competent to make variations in the programme of work in the course of the year, provided that all such variations and

re- appropriations out of the sanctioned budget are brought to the notice of the State Government by a Supplementary Financial Statement.

(1b) The State Government shall, make available such grants, subventions, loans and advances to the Authority as it may deem necessary for the performance of the functions of the Authority under this Act; and all grants, subventions, loans and advances made shall be on such terms and conditions as the State Government may prescribe."

(2) The following sub section (5) shall be added after sub section (4) of section 8 of the said Act, 1974:-

"(5) The Authority shall submit to the State Government an annual report giving a true and full account of its activities, policies and programmes during the previous financial year and forward looking statements in the form prescribed in the Rules within 90 days after the end of each financial year."

8. Amendment in section 9 of the Bihar Act 16, 1974.- (1) The words and figures " Land Acquisition Act, 1894" used in sub section (1) of section 9 of the said Act, 1974 shall be substituted by the words " the prevailing land acquisition laws."

9. Amendment in section 12 of the Bihar Act 16, 1974.- The words and figures "with fine which may extend up to Rs. 10,000/-" used in sub section (1) of section 12 of the said Act, 1974 shall be substituted by the words "with fine of rupees five lakhs or 300% of all costs incurred by the Authority whichever is higher" and further the words and figures "Rupees 100/- for every day" shall be substituted by the words " Rupees five thousand per day".

10. Amendment in section 14 of the Bihar Act 16, 1974.- The following clause (c1) shall be added after clause (c) of section 14 of the said Act,1974:-"(c1)Purchase of land and/or building, take a property on lease or rent."

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 520-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in